

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

यतः बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि डा० महेन्द्र प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र नवहट्टा, सहरसा अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित घोर कदाचार और अवज्ञा, सरकार के आदेश के उल्लंघन के दोषी हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि:-

उक्त डा० महेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-२००५ के नियम १७ के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय।

डा० महेन्द्र प्रसाद, असैनिक सहायक शल्य चिकित्सक को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अन्दर चितरंजन अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है। विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए डा० आर० के० सिंह सुधाकर, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-२ होंगे।

डा० महेन्द्र प्रसाद को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षा कराने के लिए इच्छुक हैं।

आरोप पत्र (अनुबंध) एवं साक्ष्य इसके साथ ही निर्गत किया जा रहा है।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : ७१४ (९)

/ स्वा०, पटना, दिनांक : १०/०७/२०१८

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी डा० आर० के० सिंह सुधाकर, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : ७१४ (९)

/ स्वा०, पटना, दिनांक : १०/०७/२०१८

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-२ को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : ७१४ (९)

/ स्वा०, पटना, दिनांक : १०/०७/२०१८

प्रतिलिपि: डा० महेन्द्र प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा० स्वा० केन्द्र नवहट्टा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।